रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929
No. 180] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

का.आ. 276(अ).—जबकि, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (जिसका उल्लेख इसके बाद सिमी के रूप में किया गया है) ऐसी गतिविधियों मं संलिप्त रहा है जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल हैं और जो शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने का माद्दा रखती हैं;

और जबकि, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने क्रमश: (i) दिनांक 27 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का. आ. 960(अ); (ii) दिनांक 26 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1113 (अ); और (iii) दिनांक 8 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 191 (अ); के तहत सिमी को एक विधि-विरुद्ध संगठन घोषित किया है;

और जबकि, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण का गठन यह न्यायनिर्णय देने के लिए किया गया है कि क्या सिमी को विधि-विरुद्ध संगठन घोषित करने के संबंध में पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं और न्यायाधिकरण ने अपने क्रमश: (i) दिनांक 8 अप्रैल, 2002 के आदेश संख्या का.आ. 397(अ); (ii) दिनांक 16 अप्रैल, 2004 के आदेश संख्या का. आ. 499 (अ); और (iii) दिनांक 11 अगस्त, 2006 के आदेश संख्या का.आ. 1302 (अ); के तहत प्रतिबंध को सही ठहराया है;

और जबकि, केन्द्र सरकार की यह राय है कि सिमी अब भी उन गतिविधियों में संलिप्त है, जिनके लिए इसे पहले प्रतिबंधित किया गया था और सिमी के कार्यकर्ता अब भी उन साम्प्रदायिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। सिमी की गतिविधियां भारतीय समाज की शान्ति, अखंडता और इसके धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाये रखने के लिए हानिकारक हैं और यह कि यह एक विधि-विरुद्ध संगठन है;

अत:, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी) को एक "विधि-विरुद्ध संगठन" घोषित करती है;

और जबकि, केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि यदि सिमी की विधि-विरुद्ध गतिविधियों पर तुरन्त अंकुश नहीं लगाया गया और उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो उसे निम्नलिखित कार्य करने का मौका मिल जाएगा :—

(i) अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखना और अपने उन कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करना जो अभी तक फरार हैं;

(ii) लोगों की मानसिकता को विकृत करके और साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर देश के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करना;

(iii) देश विरोधी भावना भड़काना; और

(iv) उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ाना;

और जबकि, केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि सिमी के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को देखते हुए सिमी को तत्काल प्रभाव से एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत किये गये किसी भी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 14017/6/2007-एन आई-III]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, *the* 7th February, 2008

S.O. 276 (E).—Whereas the Students Islamic Movement of India (hereinafter referred to as the SIMI) has been indulging in activities, which are prejudicial to the security of the country and have the potential of disturbing peace and communal harmony and disrupting the secular fabric of the country;

And whereas, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government declared the SIMI as an unlawful association *vide* notification numbers, (i) S.O. 960(E), dated the 27th September, 2001; (ii) S.O. 1113(E), dated the 26th September, 2003; and (iii) S.O. 191(E), dated the 8th February, 2006 respectively;

And whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal was constituted for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the SIMI as unlawful association and the Tribunal upheld the ban *vide* Order numbers, (i) S.O. 397 (E), dated 8th April, 2002; (ii) S.O. 499 (E), dated 16th April, 2004; and (iii) S.O. 1302 (E), dated the 11th August, 2006 respectively;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the SIMI continue to indulge in activities for which it was banned earlier and the activists of SIMI are still indulging in communal and anti-national activities. The activities of SIMI are detrimental to the peace, integrity and maintenance of the secular fabric of Indian society and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Students Islamic Movement of India (SIMI) to be an "unlawful association";

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the SIMI are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to —

(i) continue its subversive activities and re-organize its activists who are still absconding;

(ii) disrupt the secular fabric of the country by polluting the minds of the people by creating communal disharmony;

(iii) propagate anti-national sentiments; and

(iv) escalate secessionism by supporting militancy;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the SIMI, it is necessary to declare the SIMI to be an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (3) of Section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/6/2007-NI-III]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.